

23/12

पत्रावली पैरा हुई। वादी एवं वादी
वरील अनुपस्थित। न्यायालय में
बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद
साथ 5.00 बजे तक वादी एवं वादी वरील
में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः
प्रकरण अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
अदम पैरवी में फैसल सुमार देकर
रजिस्टर से कम की जावे। वादपूर्ति
दफ्तर खारिज है।

800